

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०३/२०२१-

शुद्धि-पत्र

पर्षदीय पत्रांक-1607 दिनांक-27.12.2021 के क्रमांक -23 एवं क्रमांक -38 पर अंकित विवरणानुसार डॉ० रिशु कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, आई०जी०आई०एम०एस०, पटना एवं डॉ० अविनाश कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, आई०जी०आई०एम०एस०, पटना के कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

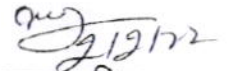
जिला पदाधिकारी पटना के ज्ञापांक-1393 दिनांक-06.12.2021 एवं ज्ञापांक-1394 दिनांक-06.12.2021 द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-1607 दिनांक-27.12.2021 द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के क्रमांक-23 पर पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता कॉलम के अन्तर्गत “डॉ० रिशु कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, आई०जी०आई०एम०एस०, पटना” के स्थान पर “डॉ० रिशु कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना” एवं क्रमांक-38 “डॉ० अविनाश कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, आई०जी०आई०एम०एस०, पटना” के स्थान पर “डॉ० अविनाश कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना” पढ़ा जाय। शेष विवरण यथावत् रहेंगे।

ह०/-

अवर सचिव

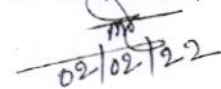
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०३/२०२१-105- पटना, दिनांक:-०२-०२-२०२२
प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना /अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना/ डॉ० रिशु कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना एवं डॉ० अविनाश कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।


०२/०२/२२